International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

बिहार में गरीबी निवारण कार्यक्रम का बदलता आयाम : बंदरा प्रखंड के संदर्भ में।

रूपेश कुमार
शोधार्थी
विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)
डॉ0 संजय कुमार
शोध निदेशक
विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

Article Info
Volume 8, Issue 2
Page Number : 722-729
Publication Issue
March-April-2021

Article History
Accepted : 05 April 2021
Published : 20 April 2021

भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। तथापि उदारीकरण के परिणामस्वरूप, पूंजी और श्रम का गरीब राज्यों से संपन्न राज्यों की ओर पलायन हो रहा है। जिन राज्यों को सुधार से लाभ न होकर बेहतर राज्यों की ओर निवेश योग्य संसाधनों के पलायन से हानि हुई है, उन्हें उन खास कमजोरियों को दूर करने के लिए अवश्य मदद की जानी चाहिए। आमतौर पर निवेश दर को किसी अर्थव्यवस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है, जो अधिकांशतः अधिसंरचना से संबंधित होती है। हम जानते हैं कि अधिसंरचना एक बहुदिशायी चीज है। बहरहाल, अधिसंरचना की गुणवत्ता किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह निवेशकों व उत्पादकों को औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। बिहार की अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति भौतिक अधिसंरचना की विपन्नता के जरिए पाली पोसी गयी है।

आर्थिक सुधारों के लाभ से वंचित बिहार को सहायता देना निहायत जरूरी है। बिहार के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बतरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उसके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जाय कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा खासा प्रवाह होने लगे, तबतक इसके लिए आवश्यक संसाधनों को केन्द्रीय पुल से ही आना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है। अगर एक अधिसंरचना सूचकांक बनाया जाय और संवितरण के स्तरों को

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

इससे जोड़ दिया जाय, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है। निवेश वातावरण सूचकांक एक अधिक उपयुक्त सूचक हो सकता है। इसी प्रकार, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को संवितरण योजना में एक अलग कारक के रूप में शामिल करना जारी रखना चाहिए, ताकि इसे पर्याप्त ऊँचा भार देने के जरिए बिहार जैसे गरीब राज्य के साथ न्याय हो। भारत में भारी आंचलिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। साथ ही, सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी काफी अंतर है। फलतः बिहार द्वारा राजस्व जुटाने की क्षमता में भी अंतर है। वित्त आयोग का राज्यों के लिए राजकोषीय अंतरणों का दृष्टिकोण मुख्यतः समानीकरण के सिद्धांत से निर्देशित होता है। वित्त आयोग संघीय आयोग और मंत्रालयों के अंतरणों को भी पूरक भूमिका निभानी होती है। योजना निर्माण प्रक्रिया के कामकाज की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय विकास परिषद् को 1952 में इसके गठन के समय सभी नागरिकों द्वारा समान रूप से किए गए त्याग के जरिए कम विकसित अंचलों व तबकों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करते हुए" राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों के निर्माण का कार्यभार सुपुर्द किया गया था।

बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। यदि भारत सरकार तय करे कि सहायता अनुदान को केवल अवशेष तक सीमित रखा जाय अर्थात् राजस्व बजट को संतुलित रखा जाय, तो पिछड़े राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं शायद ही पूरी हो सकती हैं। केन्द्र सरकार योजना के प्रयोजनों के लिए राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार नहीं करती। इसलिए अनुभवों के आधार पर जिन वित्तीय आवश्यकताओं को योजना में समाविष्ट नहीं किया जाता, उनपर विचार करके उनकी पूर्ति की जाय यह बताने की जरूरत नहीं कि संविधान में योजना और गैर–योजना खर्च का कोई भेद नहीं रखा गया है। गैर योजना खर्च को पुराने वर्तमान और पूर्व से चलते आ रहे खर्च तक सीमित रखा गया है और जो नये और सुचारू गैर योजना मद में बुनियादी सेवाओं के लिए प्रावधान नहीं हो जाता तबतक गरीब बिहार के लिए शायद ही संभव हो सकेगा कि विकास कार्य में हाथ लगावें। इसे गैर योजना खर्च कहा जाता है उसमें भी विकास के तत्व निश्चित रूप से रहते हैं। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार की वित्तीय समस्याओं को योजना और गैर योजना का फर्क किए बिना समग्र रूप में देखे और वित्तीय सहायता देने की ऐसी प्रणाली बनावे कि राज्य को वित्तीय स्थिति में जान आवे। अतः केन्द्र से दिये जानेवाले वित्तीय अंतरणों में और अधिक समानता आये इसके लिए जरूरी है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अधिक–से–अधिक साधन स्रोत मिले, जिनकी आबादी अधिक है और जहाँ विकास की संभावनाएं अधिक हैं। वितरण के सिद्धांतों में परिवर्तन लाना इस प्रयोजन की दृष्टि से जरूरी है।

झारखण्ड के निर्माण के बाद बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो गया है, जबकि सन् 2011 ई. की जनगणना के आधार पर इसकी जनसंख्या 10 (दस) करोड़ से भी ऊपर हो गयी है। झारखण्ड के अलग राज्य बन जाने के कारण बिहार में खनिज संपदा और जंगल का छोटा क्षेत्र ही बच गया है। भारत के एक राज्य के रूप में बिहार ने अपने इतिहास में असंख्य उत्थान–पतन देखे हैं। यद्यपि इस राज्य की प्रगति और उन्नति का ऐतिहासिक सर्वेक्षण कठिन है खासकर आर्थिक पैमाना पर फिर भी यहाँ के लोगों के सम्मानपूर्ण जीवन–यापन के लिए, निरंतर होते संघर्ष की कल्पना कोई भी कर सकता है। बिहार के कई विभाजनों से यहाँ के लोग विपरीत परिस्थितियाँ झेलते आ रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यहाँ के वाशिंदों ने पीड़ा, यंत्रणा, झेलते हुए हर अवसर के अनुसार समुचित साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सम्राटों–राजाओं, दार्शनिकों बुद्धिजीवियों, कवियों साहित्यकारों, कलाकारों–लघु उद्यमियों, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शकों, साधकों, कृषकों मजदूरों, ऋषियों–संतों एवं योद्धाओं नेताओं द्वारा बिहार को प्रदत्त गौरव के अलावा बिहार के सुसंस्कृत, देशभक्त, सद्गुणी और सुहृद् जनसाधारण ने भी इस विलक्षण राज्य का भरपूर मान–सम्मान बढ़ाया है। आजादी के बाद से ही बिहार की अर्थव्यवस्था गहरे दबाव में रही है, हालांकि आजादी के पहले की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं थी। बिहार का सर्वाधिक निम्न संसाधन आधार हमारी विकास नीति को सीमाबद्ध करता है जिसके चलते आजादी के छह दशकों के बाद भी बिहार सबसे निचले पायदान पर ही है। राज्य की सबसे नकारात्मक बात मैदानी भाग का अत्यधिक बाढ़ प्रवण होना है।

हर साल बाद मानव जीवन, पशुधन, खड़ी फसलों तथा सड़कों, भवनों, बांधों, जलापूर्ति व अन्य निर्मितियों तथा अन्य अधिसंरचना को भारी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ के अलावा बिहार की दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा सूखा है। इससे ज्यादातर दक्षिण बिहार प्रभावित होता है, जहाँ औसत बुआई सामान्य से 50 प्रतिशत कम हो जाती है। उल्लिखित कुछ प्रमुख कारक ऐसे हैं जिन्होंने विकास के सारे सूचकों के लिहाज से देश के सभी राज्यों के बीच बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुँचा दिया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान तो बिहार की अत्यंत बुरी स्थिति थी ही, आजादी के बाद भी परिस्थितियों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। आजादी के पहले और बाद, दोनों ही दौर में बिहार उपेक्षा की विरासत ढो रहा है। 90 के दशक और उसके बाद चली उदारीकरण की लहर ने इसकी अर्थव्यवस्था को और भी झटका दिया है। यह अलग बात है कि प्राकृतिक आपदाओं, सत्ता का सौतेली माँ–सा व्यवहार, औद्योगीकरण के वांछित स्तर का अभाव आदि कारणों से बिहार को बीच–बीच में अवनति की दर्दभरी पीड़ाओं का भी सामना करना पड़ा है। इस बात को अस्वीकृत

नहीं किया जा सकता कि यहाँ के हर वर्ग के वाशिन्दों का, विशेषकर जीविकोपार्जन के लिए, अन्य राज्यों के लिए पलायन यहाँ की समस्याओं की सूची के शीर्ष पर है। इस पलायन को हम बड़ी आकुलता के साथ रोकना चाहते हैं, किन्तु इसे रोकने के लिए सभी संभव क्षेत्रों में बिहार को आत्म निर्भर बनाने की हमारी आवश्यकता है। श्री नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार और यहाँ के लोग बड़ी गंभीरता के साथ केन्द्र सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि इस गरीबी से त्रस्त राज्य को 'विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय।

बिहार में प्रायः प्रत्येक सरकार कार्य संपादन और कार्य संपादनहीनता, त्वरित विकास गति और प्रगति की शिथिलता, लोकोन्मुख कार्यक्रम और स्वार्थपरक योजना, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और प्रतिगामी दृष्टिकोण, संसाधन शोषण और संसाधन–सदुपयोग, एकल नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व तथा अंतिम महत्वपूर्ण एकता–चक्र और विभाजक चक्र के चरम बिन्दुओं के बीच एक दोलक (पेंडुलम) के समान झूलती रही है। राज्य के विभिन्न नेतृत्वों के अंतर्गत राज्य की शांति, प्रगति और समृद्धि को मापने और उनके मूल्यांकन का भी यह उपमान (दोलक) एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से "बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983" को पूरे राज्य में तात्कालिक प्रभाव से दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। ज्ञान की प्राप्ति, नवीकरण और उपयोग पर आधारित अधिगम मूलक समाज की ओर अग्रगति आज राज्य की तात्कालिक आवश्यकता है। बदलती दुनिया के साथ साथ चलने के प्रयास में बिहार के लिए ज्ञानमूलक समाज का निर्माण करना जरूरी है। समग्र विकास संभावनाएं हासिल करने के लिए ऊर्जा एवं सड़क से युक्त विकसित अधिसंरचना अनिवार्य है। अधिसंरचना विकास के मामले में बिहार अत्यन्त पिछड़ रहा है, जिसने अब तक राज्य की प्रगति का रास्ता रोक रखा है।

औद्योगीक नीति के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 10 वर्षों से औद्योगीकरण की रफ्तार सुस्त हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को 1990 से 2005 तक और फिर 2005 से 2014 तक मदद नहीं दी है। यह बड़ा ही विस्मयकारी रहा है कि देश के बड़े–बड़े क०र्पोरेट क्षेत्र के बड़े–बड़े उद्योगपतियों द्वारा बिहार में पूँजी निवेश के लिए आश्वासन देने के बावजूद उद्योगपतियों ने पूँजी निवेश नहीं किया। लघु उद्योग इकाइयों के राज्यस्तरीय अध्ययन के अनुसार, बिहार की 70

प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयाँ रुग्ण अथवा बंद हैं। अभी तक प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट हुआ है कि 2005 तक 25000 इकाइयाँ और उसके बाद 15000 ईकाईयाँ बंद हुई हैं। ऐसी सूचना मिली है कि जिन कुछेक कंपनियों ने पहले प्रस्ताव दिये थे, अब वे काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जो नयी औद्योगिक नीति लागू की, उसमें बिजली की कमी बड़ी बाधा बनी रही है, इसलिये बड़े उद्योगपति इस और अपना रुख नहीं कर रहे हैं। इसके तहत राज्य सरकार को क०र्पस फंड और वेंचर फंड नाम की नई योजनाएं शुरू करनी चाहिये थी। राज्य सरकार लघु, छोटे और मझौले क्षेत्र के उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करने में अब तक विफल रही हैं। राज्य में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों को आगे आने का मौका नही मिला है। इससे राज्य में रोजगार के साथ–साथ विनिर्माण क्षेत्र के विकास की तरक्की का मौका नही मिला है। बिहार में निवेश के कई अच्छे प्रस्ताव आये, परन्तु शुरुआती दौर में ही लटक जाते रहे हैं। बैंक राज्य में कर्ज देने से कतराते हैं, जिस वजह से राज्य में उद्यमी पैदा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार को क०पर्स फंड तैयार करना चाहिये। क०पर्स फंड के तहत राज्य सरकार कर्ज के रूप में एक निश्चित रकम उद्यमियों को दे सकती है, क्योंकि उद्योग की स्थापना एवं संचालन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने वाला राज्य वित्त निगम एवं बिहार खाद्य निगम (बिस्कोमान) पूर्ण रूपेण निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बने हुए हैं।

भारत की बौद्धिक क्रांति की शुरुआत बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से हुई थी। इस प्रयास ने भारत की अंतराष्ट्रीय जगत में गौरवांवित किया। उन दिनों विश्व में भारत के उत्कर्ष और गौरव का केन्द्र बिहार था। बिहार का भाग्य और भविष्य देश के भाग्य और भविष्य से जुड़ा हुआ हैं। आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारत में बिहार ने अहम् भूमिका निभाई। 1918 में बिहार के चंपारण जिले की सरजमीं से ही महात्मा गांधी ने नमकः सत्याग्रह का विगुल फूंका। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ड०. राजेन्द्र प्रसाद बिहार प्रांत से ही आए। अंतराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रशासन विशेषज्ञ पी. अपेलबी के अनुसार, 1950 के दशक में बिहार राज्य भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा अधिक कुशल संचालित राज्य था। ऐसे में सवाल है कि आखिर कहां चूक रह गई कि आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई? 1990 के दशक में सोशल इंजीनियरिंग द्वारा पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा और उत्थान के प्रयास हुए। इस माध्यम से बिहार की सामंतशाही प्रथा के कारणों से समाज के मुख्यधारा से कटे लोगों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन मिला पर आर्थिक उत्थान की बात पीछे रह गई। जब अन्य प्रांत विकास दर की तेज रफ्तार में तीव्र गति से गतिमान थे, बिहार भारत में सबसे कम विकास दर के क्रम से

गुजरने लगा। लूट, अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे घिनौने कारनामे खूब सुनने देखने को मिलने लगे। संस्थाओं और संस्थानों की गुणवत्ता में गिरावट आई। विकास प्रक्रिया बाधित होने के कारण विहार में रह रहे लोगों का पलायन अन्य विकसित राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र आदि में होने लगा। 'बिहारी' शब्द का मतलब गंवार, पिछड़े से लगाया लगाया जाने लगा। बिहार से बाहर गये मजदूरों और छात्रों को देश के कई भागो में वहां के लोगों का रोष भी झेलना पड़ा, जो अब भी परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर बिहार के अंदर इसकी अर्थव्यवस्था में और बाहर बिहार की छवि में गिरावट आई। हाल में आई रिपोर्ट ने बिहार राज्य की सालाना विकास दर करीब 11 प्रतिशत होने की बात कही, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक विकास दर के आस–पास हैं, किन्तु इस विकास दर से भी 25 साल बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति की महज 20 प्रतिशत ही होगी विकास के कई मापदंडों जैसे–साक्षरता, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, गरीबी रेखा से नीचे की संख्या, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी आदी में बिहार सभी राज्यों में गरीब और पिछड़ी श्रेणी में है। बुनियादी सुविधाओं जैसे–बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की हालत खस्ता है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति प्रायः हर वर्ष होती है। इन परिस्थिति के कारण बिहार में निवेश मुख्य रूप से प्रभावित होता है।

बिहार राज्य का आबादी घनत्व देश में बहुत ऊंचा है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन और प्राकृतिक स्रोतों के मामले में बिहार की प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना में कम है। फिर भी कई मायनों में बिहार महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है और बिहार जनसंख्या के मामले में बहुत राज्यों से आगे है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस राज्य को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाए।

बिहार तथा भारत सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना ही नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिये। समृद्धि से ही गरीबी उन्मूलन संभव है। आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अनेक योजनायें तथा कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है। जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, आम समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी तथा आवास योजना आदि। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। मनरेगा के तहत् बंदरा प्रखंड के गाँवों में लोगों को 100 दिनों के काम की गारंटी दी गयी है। इंदिरा आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अनुसार जो लोग घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। उनको रियायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।

गरीबी देश तथा राज्य के लिये बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। हमारी सरकार गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिये कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत् विकास और समावेशी वृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

बंदरा प्रखंड में गरीबी निवारण के लिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय किये जाने की जरूरत है–

(i) किसी भी गरीबी उन्मूलन रणनीति का एक आवश्यक तत्व घरेलू आय में एक बड़ी गिरावट को रोकना है।

(ii) राज्य प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही सोच के साथ लागू किया जाना चाहिये।

(iii) गरीबी को कम करने के लिये सरकारी नौकरी के बजाय रोजगार पर बल दिया जाना चाहिये।

(iv) पूर्ण लाभ पाने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने में सक्षम सामाजिक बुनियादी ढ़ाँचे के निर्माण की आवश्यकता है।

(v) यूटिलिटी विद्युतीकरण, आवास, परिवहन आदि आधारभूत संरचनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

(vi) कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। गाँवों में आर्थिक गतिविधियों का अभाव है। इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो।

(vii) बैंकिंग, क्रेडिट क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क, उत्पादन तथा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है।

(viii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा पर अधिक निवेश किये जाने की जरूरत है ताकि मानव उत्पादकता में वृद्धि हो सके। गुणात्मक शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही रोजगार के अवसर, महिलाओं की भागीदारी, बुनिसादी ढाँचा पर ध्यान देने की जरूरत है।

(ix) हमें आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(x) आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होगी गरीबी का स्तर उतना ही नीचे चला जायेगा।

गरीबी देश के लिये बहुत बड़ी समस्या है। इसे खत्म करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। हमारी सरकार देश के विकास के लिये कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन, अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत् और समावेशी वृद्धि

सुनिश्चित करेगा। हम सभी को देश से गरीबी दूर करने हेतु किये जा रहे प्रयासों में हरसंभव मदद करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

संदर्भ सूची :

1. डी. बनर्जी, *पावर्टी, क्लास, हेल्थ, कल्चर इन इंडिया*, प्राची प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1982
2. पी, वर्मन और एम. ई. खान, *प्लेईंग फॉर इंडियाज हेल्थ केयर*, सोज, नयी दिल्ली, 1993.
3. एस. भारद्वाज, *एटिट्यूड टूवार्ड्स डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसीन : ए सर्वे ऑफ फोर विलेज इन पंजाब*, सोशल साईंस एंड मेडिसीन, 1980.
4. जे. सी. भाटिया, *ट्रेडिशनल हीलर एंड मॉर्डन मेडिसीन*, सोशल साईंस एंड मेडिसीन, 1975.
5. रूद्र दत्त एवं सुन्दरम्, *भारतीय अर्थव्यवस्था*, एस. चाँद एंड कंपनी, नयी दिल्ली
6. प्रधान हरिशंकर प्रसाद, *ग्रोथ विथ फुल एम्प्लाएमेंट*, फिलहाल, पटना.
7. एल. सी. जैन, *कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत इन इंडिया*, एलाइड प्रकाशन, बम्बई.
8. एस. के. झा, *रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया*, जानकी प्रकाशन, पटना.
9. एन. वी. माथुर, इनकलाब नारायण, *पंचायती राज प्लानिंग एंड डेमोक्रेसी*, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली.
10. राजेश्वर दयाल, *पंचायती राज इन इंडिया*, खामा पब्लिशर्स, नयी दिल्ली.
11. अवध नारायण दुबे, *ग्रामीण प्रशासन और राजनीति*, आविष्कार प्रकाशन, जयपुर.